रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Email Id- Website : prsu.ac.in E-mail – raipurgen@yahoo.com

क्रमांक / 477 / गोप. / 2020 रायपुर, दिनांक 30 / 09 / 2020

प्रति,

1. केंद्राध्यक्ष,
वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा 2020,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

2. प्राचार्य / केंद्राध्यक्ष
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
से संबद्ध महाविद्यालयीन परीक्षा केन्द्र

विषयः— वार्षिक परीक्षा 2020 एवं सेमेस्टर परीक्षा मई—जून— 2020 की उत्तर—पुस्तिका जमा करने के संबंध में।

विषयांतर्गत ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1835, दिनांक 19.09.2020 के अनुसार परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के 05 दिवस के अंदर समस्त उत्तर—पुस्तिकाओं को एक साथ बंद लिफाफे में अपने परीक्षा केंद्र में स्पीड—पोस्ट, डाक, कोरियर, अथवा ई—मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। उक्त व्यवस्था में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त दिशा—निर्देश के तारतम्य में **आंशिक संशोधन करते हुए परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र में कोविड—19 संक्रमण से बचाव हेतु एस.ओ.पी. (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन करते हुए उत्तर—पुस्तिकाओं को जमा करने की भी अनुमति होगी।**

इस पत्र के साथ केंद्राध्यक्षों / परीक्षार्थियों के लिए दिशा—निर्देश संलग्न है। उक्त दिशा—निर्देशों को महाविद्यालय के प्राचार्य / केंद्राध्यक्ष समस्त परीक्षार्थियों को Email / WhatsApp से प्रेषित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार,

30.9.20

कुलसचिव

पृ.क्र. / 478 / परीक्षा / 2020 रायपुर, दिनांक 30 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, 492002 (छ.ग.)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 छ.ग.)
4. सहायक कुलसचिव गोपनीय / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / उपकुलसचिव प्रशासन / उपकुलसचिव विकास / वित्त नियंत्रक / कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय / वि.वि. मुद्रणालय।
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / संचालक महाविद्यालय विकास परिषद / संचालक, भारतीय उपभोक्ता रांची–झारखण्ड / संबंधित कार्यसहायक / समायोजन प्रकोष्ठ / प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी ।
6. प्रभारी इंटरनेट, कम्प्यूटर–विज्ञान अध्ययनशाला को इसे वि.वि. के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
8. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्र, रायपुर / अमर–किरण दुर्ग / सवेरा–संकेत, राजनांदगांव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया उत्तर पुस्तिका जमा करने से संबंधित संशोधित निर्देश को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें

30/9/20

उप कुलसचिव (परीक्षा)

HK/Conf./Exam-11/2

केंद्राध्यक्षों के लिये दिशा–निर्देश :–

1. परीक्षा–केंद्रों एवं समस्त कक्षों को नियमित अंतराल में सेनेटाइज किये जाये।
2. प्रसाधन कक्षों की प्रतिदिन सफाई हो एवं नियमित अंतराल में सेनेटाईजेशन की प्रक्रिया की जाए।
3. पेयजल हेतु प्रयुक्त गिलास का प्रत्येक उपयोग के बाद वॉशिंग पाउडर से धुलाई अनिवार्य है।
4. परीक्षा केंद्रों में परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को परस्पर न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखते हुए एवं अपने स्वयं के लाए मास्क/रूमाल/गमछा/ओढ़नी से नाक एवं मुंह ढँककर कार्य संपादित करना है।
5. परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के प्रवेश एवं निर्गम हेतु यथासंभव पृथक–पृथक द्वार निर्धारित कर प्रवेश द्वार में प्रवेश करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षार्थियों का नाक एवं मुँह अपने स्वयं के लाए मास्क/रूमाल/गमछा/ओढ़नी से ढंका हुआ हो, प्रत्येक परीक्षार्थी को 01 मीटर की दूरी बनाकर एवं प्रवेश द्वार में ही प्रत्येक परीक्षार्थियों के हाथ साबुन से धोने/सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए, इसके अतिरिक्त प्रसाधन में भी हाथ धोने के लिए साबुन पानी की व्यवस्था आवश्यक है।
6. परीक्षा केंद्र में प्रवेशित परीक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिका जमा करने के उपरांत परिसर में घुमने–फिरने एवं समूह में रहने को प्रतिबंधित करते हुए सीधे अपने निवास के लिए प्रस्थान हेतु सख्त निर्देश दी जाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
7. सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग हेतु राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए।
8. उत्तर–पुस्तिका जमा करने के लिए यथासंभव अलग–अलग/विषयवार कक्ष निर्धारित किए जाएँ।
9. उत्तर–पुस्तिका जमा करने के लिए आने वाले छात्र/छात्राओं का थर्मल स्कैनर से परीक्षण करने के बाद सामान्य तापक्रम होने पर ही उसे परीक्षा–केंद्र में सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए प्रवेश दिया जाए।

30/9/20

10. महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन, राज्य शासन, केन्द्र शासन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा समय समय पर जारी किये गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

11. परीक्षार्थियों के द्वारा उत्तर–पुस्तिका जमा करने के दौरान कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी SOP का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/केंद्राध्यक्ष उक्त प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर सकता हैं, एवं परिस्थिति अनुकुल होने पर ही उक्त व्यवस्था को पुनः शुरू कर सकते हैं।

30/9/20

परीक्षार्थियों के लिए दिशा–निर्देश

1. विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 975/गोपनीय/2020, दिनांक 30/09/2020 के द्वारा उत्तर–पुस्तिका जमा करने के संबंध में आंशिक संशोधन किया गया है।
2. कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका जमा करने के लिए डाक/E-mail/के साथ–साथ चाहें तो **भौतिक रूप से स्वयं अपने परीक्षा–केंद्र में उपस्थित होकर उत्तर–पुस्तिका जमा कर सकते हैं।**
3. उत्तर–पुस्तिका जमा करने के लिए परीक्षार्थी महाविद्यालय/परीक्षा–केंद्र के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
4. परीक्षा–केंद्र में प्रवेश करते समय मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
5. परीक्षा–केंद्र में कहीं पर भी परीक्षार्थी एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका जमा करते ही तत्काल परिसर से प्रस्थान करेंगे।
6. परीक्षार्थियों के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य तत्काल उक्त व्यवस्था को स्थगित कर सकते हैं।
7. समस्त परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

30/9/20